IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (Jr. Div.), PIRO
DISTRICT, BHOJPUR (BIHAR)
T.S. No- 59/17

उर्मिला सिंह . ..... वादी

बनाम

रामचंद्र सिंह वगैरह ..... प्रतिवादीगण

Order Dated- 07.05.2026

आज उभय पक्ष की हाजरी दी गई। आज यह आवेदन वादी पक्ष द्वारा आदेश 23 नियम 01(03) व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी का यह आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2025 को दाखिल किया गया। वादी अपने आवेदन के माध्यम से यह दावा करते है कि मुदईया मुदालय के विरूद्व मौजूदा मुकदमा दाखिल किया जिसमें मुदालय नं0–01 हाजीर होकर ससंघर्ष कर रहे है। वादी ने यह मुकदमा सर्वे खाता नं0–255 सर्वे खेसरा नं0–1445 में 1.25 डिसमील जमीन के निश्वत दाखिल किये है। मुदईया ने सर्वे खाता नं0–883 सर्वे खेसरा नं0–1444 रकबा 0.125 डिसमील सर्वे खाता नं0–255 सर्वे खेसरा नं0–1445 रकबा 1.125 डिसमील, सर्वे खाता नं0–880 सर्वे खेसरा नं0–1448 रकबा 1.25 डिसमील जमीन दिनांक 22.05.2017 को निबंधित वसिका विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की है लेकिन मौजूदा वाद में सर्वे खेसरा नं0–1445 विवाद के विषय वस्तु है। वादी का अपने आवेदन के माध्यम से यह भी दावा है कि वादी जब अपने विक्रय पत्र के आधार पर तीनों खेसरा यानी 1444,1445, एवं 1448 में खरीदगी जमीन पर गई तो मुदलाय नं0–01 रामचंद्र सिंह नजायज तौर से मुदईया के खरीदगी जमीन पर दावा करने लगे तथा बेदखल कर दिये।

तथा वादी द्वारा जब अपने मौजूदा केस वाद पत्र का अवलोकन कराई तो उसे ज्ञात हुआ कि विवाद का विषय वस्तु सर्वे खेसरा नं0–1445 हैं इसलिए मुदईया अब मौजूदा मुकदमा वापस लेकर नया मुकदमा अपने तीनों खरीदगी खेसरा पर दाखिल करना चाहती है इसलिए न्यायहित में वादी का मौजूदा वाद वापस करने का आदेश किया जाए।

दिनांक–19.03.2026 को प्रतिवादी सं0–01 की तरफ से वादिनी आवेदन दिनांक 01.12.2025 के अंतर्गत आदेश 23 नियम 01(03) व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के विरूद्व प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–01 द्वारा अपने प्रतिउत्तर में यह दावा किया गया कि वादी गलत कथनों के आधार पर आठ साल गुजरने के बाद प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के लिए मुकदमा में आगे बने रहना चाहते है। वादिनी चल रहे वाद में अपनी वाद पत्र के कण्डिका 02 में खेसरा सं0–1445 एवं 1448 में खरीद करने की कथन की है एवं उक्त खरीदगी की पूरी–पूरी स्पष्ट रूप से कथन की है एवं अपनी दखल कब्जा की कथन की है। वादिनी को वाद पत्र में संशोधन कराने के लिए स्वतंत्र है अथवा खेसरा सं0–1444 एवं 1448 पर स्वतंत्र दूसरा वाद करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार से खेसरा सं0–1445 पर नया वाद दाखिल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः वादिनी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

निष्कर्ष

वादी द्वारा दाखिल आदेश 23 नियम 01(03) व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के अवलोकन एवं प्रतिवादी सं0–01 द्वारा दाखिल प्रतिउतर के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वादी पक्ष द्वारा जो अपने वाद पत्र में दावा किया गया था उससे उसे वर्तमान केस में न्याय मिलना प्रतीत नहीं होता है एवं इससे एक साथ कई मुकदमा उत्पन्न होने की स्थिति बनी रहेगी जिससे वादी पक्ष के साथ न्याय होने की संभावन कम प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में वादी का दिनांक 01.12.2025 को दाखिल आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 01(03) व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत किया है जो की वादी द्वारा वर्तमान केस के वापसी लेने के संबंध में दाखिल किया गया है को **स्वीकृत** किया जाता है।

सिविल जज (जूनि0 डि0)
अनुमंडलीय न्यायालय, पीरो (भोजपुर)